न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–40 / 2019

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–08.05.2019

निर्णय दिनांकः–12.07.2019

उनवान

हंसराज पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तह0 पीपलू जिला टोंक
वादी

बनाम

1.सीता बेवा पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तह0 पीपलू जिला टोंक

2.कमलेश पुत्री पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तह0 पीपलू जिला टोंक

3.गौरा पुत्री पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तह0 पीपलू जिला टोंक

4.तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक
प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री कमलेश गुर्जर
निर्णय दिनांक–12.07.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी खसरा न0 104 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 105 रकबा 07बीघा 06 बिस्वा ख0न0 107 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, ख0न0 108 / 398 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 109 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

01 बीघा 01 बिस्वा, ख0न0 110 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तह0 पीपलू में स्थित हैं जो पन्नालाल की मृत्यु उपरान्त जरिये विरासत वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उक्त वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने अपना हिस्सा जरिये हक त्याग पत्र वादी व उसके भाई मोहनलाल के हक में दिनांक 24.10.2013 को छोड़ दिया था जिसके कारण उनके समस्त हक अधिकार वादी व उसके भाई मोहनलाल में निहीत हो गये। वादी के भाई मोहनलाल का अविवाहित स्थिती में दिनांक 16.12.2017 को देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा अपना हिस्सा वाद ग्रस्त आराजी में से छोड़ दिये जाने के कारण मोहनलाल की विरासत पाने का एक मात्र अधिकारी वादी हैं। जिसके लिए वादी द्वारा वाद उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादी ने अपने वाद पत्र के सम्बध में नकल जमाबन्दी, मोहनलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र की प्रति पेश की। उभयपक्ष अधिवक्ता ने इकबाली जवाब दावे के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् व कानुनी नजीरों का अवलोकन किया। वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा न0 104 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 105 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, ख0न0 107 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, ख0न0 108/398 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 109 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, ख0न0 110 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तह0 पीपलू में मोहनलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा 1/2 के नाम अंकित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार वादी के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू